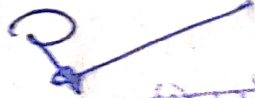


पत्रावली नं. ३०.०७.२०२४

शे. २
SDO

30.07.2024

पत्रावली पेज दुई। वकील उग्रपदाकरान
उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्ट्या
मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि
से प्रार्थना के पक्ष में है ऐसे में
मौके व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने पर
वाद विविधता बढ़ेगी। अतः दोनों पक्षों
को पाबंद किया जाता है कि मूल वाद
के निस्तारण तक मौजा खीरखारियां में
स्थित वादग्रस्त भूमि में मौका व
रिकॉर्ड की प्रथास्थिति बनाए रखें।
पत्रावली फैसल शमार होकर संलग्न
मूल वाद रहे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा